72

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : एक–निगरानी/शिवपुरी/भू0रा0/2017/3938 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 29–9–17 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 508/14–15 अपील

दामोदर पुत्र अमृतलाल निवासी ग्राम टोड़ा
तहसील पोहरी जिला शिवपुरी, म0प्र0 ——आवेदक

विरूद्ध

1– भमरू पुत्र जगनू फोत वारिस
अ– बिनाद पुत्र भमरू
ब– कैलाश पुत्र भमरू
स– महिला पार्वती पत्नि स्व.भमरू
सभी ग्राम टोड़ा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी, म0प्र0 —— अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(आवेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 25-10-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 508/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–9–17 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार बैराढ़ के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि बंदोवस्त के पूर्व ग्राम टोड़ा की भूमि सर्वे कमांक 271/2 रकबा 0.336 हैक्टर एंव 272/2 रकबा 0.836 हैक्टर भूमि रही है। बंदोवस्त के वाद इस भूमि के सर्वे कमांक 507, 509, 510, 635,636,686 बनाये गये हैं किन्तु रिकार्ड में रकबा की सीमा कम हो गई है इसलिये भूल सुधार किया जावे। नायव तहसीलदार बैराढ़ ने प्र0 क0 7/99–2000 अ –5 पॅजीबद्व किया तथा मौके की जांच कराकर आदेश दि. 4–7– 2000

पुनश्च आदेश दिनांक 12-7-2002 पारित किये तथा बंदोवस्त के वाद कम हुई सीमा में सुधार के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक भमरू ने अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी पोहरी ने प्र0क0 38/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-8-2008 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार के आदेश निरस्त कर दिये तथा निर्णीत किया कि नक्शे में संशोधन का अधिकार बंदोवस्त के दौरान बंदोवस्त अधिकारी को है और उसके वाद मात्र कलेक्टर को है। अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के आदेश दिनांक 6-8-2008 के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 508/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-17 से अपील अस्वीकार करते हुये निर्णीत किया कि बंदोवस्त के वाद नक्शा में संशोधन का अधिकार संहिता की धारा 107 (5) में कलेक्टर को है। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार बैराढ़ ने बंदोवस्त के पूर्व ग्राम टोड़ा की भूमि सर्वे कमांक 271/2 रकबा 0.336 हैक्टर एंव 272/2 रकबा 0.836 हैक्टर के बंदोवस्त के वाद बने नवीन सर्वे कमांक 507 509, 510, 635,636,686 के रिकार्ड में रकबा की सीमा कम होने से भूल सुधार करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 4-7-2000, पुनश्च आदेश दिनांक 12-7-2002 पारित किये है। अनुविभागीय अधिकारी पोहरी द्वारा आदेश दिनांक 6-8-2008 में एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 29-9-17 निष्कर्ष दिये हैं कि बंदोवस्त के वाद नक्शा में संशोधन का अधिकार संहिता की धारा 107 (5) में कलेक्टर को है। विचार योग्य है कि क्या नायव तहसीलदार बैराढ़ का नक्शे में कम हुये रकबे में सुधार सम्बन्धी दिये गये आदेश दिनांक 4-7-2000, पुनश्च आदेश दिनांक 12-7-2002 अधिकारिता-विहीन है अथवा नहीं ?

नसीरून्निशा (मुस.) बनाम मोहनलाल तथा अन्य 2014 राजस्व निर्णय 227 का न्याय दृष्टांत है कि भू राजस्व संहिता 1959 (म०प्र०) धारा 70 तथा 107 (5) - धारा 70 के अधीन कलेक्टर की शक्तियॉ - तहसीलदार को प्रदत्त - तहसीलदार व्दारा नक्शा का रूपान्तरण अधिकारिता-रहित नहीं है।

उक्त निर्णय के पद 6 में विवेचना की गई है कि -

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 90 के अवलोकन पर इस धारा के आगे वर्णित टिप्पणी इस प्रकार है -

'' म०प्र०राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्र. 273-सी-आर-975-सात-ना(नियत) 8 जनवरी 1960 व्दारा राज्य सरकार ने इस धारा में उल्लेखित निर्देश दिया है कि धारा 88 (अब 90) व्दारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बंदोवस्त की अवधि के दौरान कलेक्टर धारा 71, 72, 73 तथा 85 (अब क्रमश: 68, 69, 70) की इन शक्तियों को तहसीलदारों को दे दिया गया है। धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी इ (9) देखें ''

उपरोक्त न्याय दृष्टांत में दिये गये विवरण से पाया गया कि नायव तहसीलदार बैराढ़ व्दारा रिकार्ड में रकबा की सीमा कम होने से भूल सुधार करने सम्बन्धी पारित आदेश दिनांक 4-7-2000 पुनश्च आदेश दिनांक 12-7-2002 अधिकारिता-रहित नहीं है अपितु इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के आदेश दिनांक 6-8-2008 एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 29-9-17 में निकाले गये निष्कर्ष उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 508/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-17 तथा अनुविभागीय अधिकारी पोहरी व्दारा प्रकरण क्रमांक 38/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-8-2008 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एंव नायव तहसीलदार बैराढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 7/99-2000 अ-5 में पारित आदेश दिनांक 4-7-2000, पुनश्च आदेश दिनांक 12-7-2002 उचित होने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर